दिनांक 15.05.2018 को पूर्वाहन् 12:30 बजे को ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखण्ड अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में पी0के0वी0वाई0 योजना (150 संकुल) के कियान्वयन हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI) के प्रकाशन से पूर्व Pre-Bid की बैठक की कार्यवाही :-

---

निदेशक उद्यान -सह- अध्यक्ष, कय एवं मुल्य निर्धारण समिति के अचानक भारत सरकार के निर्धारित बैठक/ विमर्श में दिनांक 14.05.2018 एवं 15.05.2018 तक भाग लेने के फलस्वरूप उनके द्वारा दुरभाष पर दिये गये मार्गदर्शन के आलोक में दिनांक 15.05.2018 को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ओफाज की अध्यक्षता मे ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखण्ड अन्तर्गत कियान्वित की जाने वाली योजना पी0के0वी0वाई0 (150 संकुल) हेतु निविदा पूर्व **Pre-Bid** की अनौपचारिक बैठक आयोजित की गई। बैठक मे कय एवं मुल्य निर्धारण समिति के सदस्यों एवं प्रादेशिक परिषद के प्रतिनिधियों ने भाग लिया (उपस्थिति संचिका मे संधारित)।

सर्वप्रथम मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ओफाज ने उपस्थित सभी कय एवं मुल्य निर्धारण समिति के सदस्यों एवं प्रादेशिक परिषद के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये सभी उपस्थित सदस्य गण को पी0के0वि0वाई0 मार्गनिर्देशिका एवं इच्छा की अभिव्यक्ति का प्रारूप की प्रति उपलब्ध कराई गई। तद्उपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये प्राधिकार कार्यालय द्वारा तैयार किये गये इच्छा की अभिव्यक्ति के प्रारूप पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई एवं उपस्थित संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सुझाव की अपेक्षा की गई।

1. प्रादेशिक परिषद अदिति ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेन्सी के प्रतिनिधि नें EMD की राशि को 5 लाख से 1 लाख रू0 किये जाने का अनुरोध किया।

   CPWD Works Manual 2014 की कंडिका 19.3 (i) के अनुसार 10 करोड के अनुमानित लागत के कार्यो हेतु EMD की राशि अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
   उक्त के आलोक में कय एवं मुल्य निर्धारण समिति के द्वारा EMD की राशि को वित्तीय नियमों के अनुकूल पाते हुये सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।

2. प्रादेशिक परिषद मार्स कॉप लिमिटेड के प्रतिनिधि ने झारखण्ड राज्य में जैविक खेती में कार्य कर रही संस्थाओं को NPOP अन्तर्गत झारखण्ड में कार्य कर रही संस्थाओं को 5 अतिरिक्त अंक दिये जाने के संबंध में अनुरोध किया की इससे नई संस्थाओं को प्रर्याप्त मौका नही मिल पायेगा।

3. प्रादेशिक परिषद अदिति ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेन्सी के प्रतिनिधि नें संस्थाओं के द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र में Non Termination Clause सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया।

4. राज्यादेश संख्या 66 दिनांक 19.03.2018 की कंडिका 06 के अनुसार योजना के अन्तर्गत जैविक प्रमाणीकरण PGS द्वारा NCOF, भारत सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिये अधिकृत Regional Council के माध्यम से सतत् तीन वर्षो तक लिया जायेगा एवं योजना का कार्यान्वयन Regional Council के द्वारा किया जायेगा।
   साथ ही दिनांक 14.09.2015 को विकास आयुक्त झारखण्ड की अध्यक्षता में केन्द्र प्रायोजित NMSA अन्तर्गत आहुत SLSC की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि झारखण्ड राज्य में PKVY योजना का कार्यान्वयन Regional Council के द्वारा किया जायेगा।
   उपरोक्त तथ्यों के आलोक में झारखण्ड राज्य के लिये अधिकृत Regional Council के चयन हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति/ आमंत्रण के माध्यम से चयन प्रकिया पूर्ण करने हेतु गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता पर बल दिया गया।

5. इच्छा की अभिव्यक्ति के प्रारूप पर क्षेत्रीय परिषदों को अपने सुझाव ईमेल के माध्यम से भी दिनांक 22.05.2018 तक प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. उपस्थित सभी सदस्यों को पी0के0वि0वाई0 मार्गनिर्देशिका एवं इच्छा की अभिव्यक्ति के प्रारूप की प्रति उपलब्ध कराई गई।

7. निदेशक उद्यान –सह– अध्यक्ष एवं उपनिदेशक उद्यान –सह– सदस्य सचिव के उपस्थित न होने के कारण Pre- Bid की बैठक पुनः आयोजित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी!

15/5/2018

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
ओफाज, राँची।

ज्ञापांकः 844 राँची, दिनांकः 15/05/2018

प्रतिलिपिः क्रय एवं मुल्य निर्धारण समिति के सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

15/5/2018

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
ओफाज, राँची।

ज्ञापांकः 844 राँची, दिनांकः 15/05/2018

प्रतिलिपिः उपनिदेशक उद्यान, राँची –सह– सदस्य सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

15/5/2018

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
ओफाज, राँची।

ज्ञापांकः 844 राँची, दिनांकः 15/05/2018

प्रतिलिपिः निदेशक उद्यान, राँची –सह– अध्यक्ष, क्रय एवं मुल्य निर्धारण समिति को सूचनार्थ समर्पित।

15/5/2018

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
ओफाज, राँची।